



राज्य प्रोग्राम कमेटी (अन्धता),  
(राज्य स्वास्थ्य समिति)  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान  
स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर  
टेलीफैक्स - 0141-2228743, Email - blindness\_shs@rediffmail.com

क्रमांक: अंधता/प्रोग्राम फाईल/09-10/

दिनांक:-

**आदेश**

इस निदेशालय के पत्रांक सम/459 दिनांक 11.8.09 के द्वारा प्रसारित नेत्र शिविर आयोजन के मापदण्ड (परिशोधित) के क्रम में अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि उन्हें भी शिविर आयोजन के पुनीत कार्य से किसी तरह सम्बद्ध किया जावे।

तदनुसार यह निश्चित किया गया है कि नेत्र शिविर रजिस्टर्ड एन0जी0ओ0/संस्था द्वारा ही लगाया जावेगा परन्तु कोई भी अनरजिस्टर्ड एन0जी0ओ0/संस्था कैम्प में identification, Motivation व Transportation का कार्य रजिस्टर्ड एन0जी0ओ0/संस्था के साथ टाई-अप करके कर सकती है। ऐसी संस्था के लिये 10 लाख रूपये के टर्नओवर की अनिवार्यता नहीं होगी।

ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड एन0जी0ओ0/संस्था को रू0 575/- प्रति केस तथा में identification, Motivation व Transportation का कार्य करने वाली अनरजिस्टर्ड एन0जी0ओ0/संस्थाको रू0 175/- प्रति केस दिये जावेंगे।

मरीज की जिम्मेदारी रजिस्टर्ड संस्था की होगी एवं में identification, Motivation व Transportation करने वाली संस्था कैम्प स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र के साथ रजिस्टर्ड संस्था से सहमति पत्र प्राप्त कर संलग्न करेगी।

इस आदेश के लिये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

विभागीय वेबसाईट - [www.rajswasthya.nic.in](http://www.rajswasthya.nic.in) पर भी यह आदेश उपलब्ध करा दिया गया है।

SD  
निदेशक (जन स्वा0) एवं अध्यक्ष  
राज्य कार्यक्रम समिति (अंधता)  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: अंधता/प्रोग्राम फाईल/09-10/ 589

दिनांक:- 5/10/09

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. संयुक्त निदेशक जोन, समस्त
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, समस्त
5. सर्वर रूम।

निदेशक (जन स्वा0) एवं अध्यक्ष  
राज्य कार्यक्रम समिति (अंधता)  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर